



संख्या : /जी0एस0/शिक्षा/A3-101(4)/2020

प्रेषक,

**बृजेश कुमार संत,**  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

**कुलसचिव,**  
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,  
नैनीताल।

**राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय:उत्तराखण्ड**

**देहरादून दिनांक 22 मार्च, 2021**

महोदय,

कृपया कुलपति के पत्र संख्या: 451/मान्यता/के0यू0/2019-20 दिनांक 06.07.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कुलपति द्वारा इन्दिरा प्रियदर्शनी राजकीय महिला वाणिज्य महाविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल को एम0एस-सी0 (रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2019-20 की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति/सैद्धान्तिक सहमति सत्र दर सत्र के आधार पर निम्न उपबन्ध के साथ प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	इन्दिरा प्रियदर्शनी राजकीय महिला वाणिज्य महाविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल	एम0एस-सी0 (रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान)	30 सीट प्रति विषय	सत्र 2019-20

- 1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करे व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।
- 2- महाविद्यालय में पुस्तकें/प्रयोगशाला मानकानुसार पूर्ण कराना विश्वविद्यालय का दायित्व होगा। जिन मानकों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित हो, उनके सम्बन्ध में इस सचिवालय के पत्र सं0-2565 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के क्रम में शासन से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 3- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव ससमय निर्धारित सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे। तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

**(बृजेश कुमार संत)**  
कुलाधिपति के सचिव।

**संख्या : 3526 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A3-101(4)/2020 तददिनांकित।**

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, इन्दिरा प्रियदर्शनी राजकीय महिला वाणिज्य महाविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

**(जितेन्द्र कुमार सोनकर)**  
कुलाधिपति के अपर सचिव।